प्रेषक,

परशुराम
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं०-8, जनपद-लखीमपुर खीरी ।

सेवा में,

माननीय संयुक्त निबन्धक (एडमिन-1)
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद ।

द्वारा : माननीय जनपद न्यायाधीश
जनपद-लखीमपुर खीरी ।

विषय: माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या-16975/IV-3429/Admin (A-4)/ Dated 21.11.2019 के संदर्भ में माँगी गयी आख्या के संबंध में,

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में ससम्मान विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी ने कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय, कुरुक्षेत्र हरियाणा द्वारा वर्ष 2019-2020 में आयोजित की जाने वाली एल०एल०एम० प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति हेतु माननीय महोदय के समक्ष निवेदन किया है । उपरोक्त विषयांकित पत्रांक में श्रीमानजी द्वारा अपेक्षित आख्या निम्नवत है :-

1-यह कि प्रार्थी पत्राचार के माध्यम से LL.M. का कोर्स कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय, कुरुक्षेत्र हरियाणा से करना चाहता है । जिसके लिये प्रार्थी को Study Leave की आवश्यकता नहीं है । प्रार्थी उक्त अध्ययन हेतु कोई अध्ययन अवकाश (Study Leave) नहीं लेगा ।

2-यह कि प्रार्थी दिन-प्रतिदिन क्लास में उपस्थिति के बिना LL.M. का कोर्स पत्राचार के माध्यम से करना चाहता है ।

3-यह कि प्रार्थी ने अभी तक LL.M. प्रथम वर्ष की परीक्षा देने हेतु आवेदन नहीं किया है, बल्कि प्रार्थी का उक्त कोर्स के अध्ययन हेतु वर्तमान सत्र में प्रवेश लेना प्रस्तावित है ।

4- यह कि विश्व विद्यालय द्वारा अभी तक परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं की गयी है । प्रार्थी परीक्षा की तिथि निर्धारित होने की सूचना प्राप्त होने पर उसे श्रीमानजी के समक्ष उपलब्ध करा देगा ।

अतः माननीय महोदय जी से विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी के प्रतिवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने व उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जावे । असीम कृपा होगी ।

सादर ।

दिनांक : 23.01.2020

भवदीय
(परशुराम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं०-8, लखीमपुर-खीरी ।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर-खीरी
संख्या 168 I-3219 दिनांक 24-01-2020
अग्रसारित

जिला न्यायाधीश
लखीमपुर-खीरी
24-1-2020

Scanned by CamScanner